रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 211] नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 10, 1971/अग्रहायण 19, 1893

No. 211] NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 10, 1971/AGRAHAYANA 19, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF FOREIGN TRADE

RESOLUTION

TARIFFS

New Delhi, the 10th December, 1971

No. 1(1)-Tar/71.—The Tariff Commission has submitted its Report on the continuance of protection for the Aluminium Industry on the basis of an inquiry undertaken by it under sections 11(e) and 13 of the Tariff Commission Act, 1951 (50 of 1951). Its recommendations are as follows:—

(1) The Oluminium Industry in India has come of age and outgrown the need for further fiscal protection. Hence, protection granted to the industry need not be continued beyond 31st December, 1971, and the protective import duties on articles covered under item Nos. 66(a) and 66(1) of the First Schedule to the *Indian Customs Tariff* may be replaced by revenue duties at the appropriate rates.

(2) Having regard to the views expressed by Bharat Aluminium Company, the Public sector undertaking, and some of the State Governments, if Government desire to retain a degree of flexibility, it might consider the possibility of continuing to deem the Aluminium Industry as protected within the meaning of Section 11(a) of the Tariff Commission Act, 1951 for a further period of three years or so.

(3) Having regard to the large expansion programmed for this industry and the importance of its role in economic development, its growing need for adequate supplies of electric energy at economic prices—a point to which attention has been successively drawn by the Commission in its earlier reports needs re-emphasis.

(4) No estimate of demand or study of consumption pattern or other projections of Aluminium would be complete without a proper assessment of the performance of the small scale sector. Early steps should accordingly be taken for the adequate collection of data from the small scale sector and an objective evaluation thereof.

(5) The export policy should be formulated on a long-term basis and the procedures less time-consuming.

(6) By and large, the quality of the indigenous primary metal seems to be satisfactory although for sheets and circles there seems to be some room for further improvement. It would be in the interests of the producers themselves to whole-heartedly join the I.S.I. Certification Marks Scheme and thus obtain official authorisation of the quality of their products.

2. Government accept recommendation (1) above. They have decided that, after the withdrawal of the protective rates of duty, the effective rates of revenue duty should for the present be maintained at the same level as the effective rates of the existing protective duty.

Necessary legislation to implement the decisions of Government will be undertaken in Parliament in due course.

3. Regarding recommendation (2), Government consider that the aluminium industry should be deemed to be protected within the meaning of Section 11(a) of the Tariff Commission Act, 1951, for a further period of five years ending 31st December, 1976. They further consider that the progress of the industry should be reviewed periodically by the Tariff Commission to assess the position.

4. Government have taken note of recommendations (3) and (4) and will take steps to implement them as far as possible.

5. With reference to recommendation (5), the Government have already decided that in view of the country's need for aluminium, export of E.C. Grade aluminium can not be allowed for the present, while exports of other grades can be allowed only in very limited quantities to meet essential commitments. There cannot be a static policy in this regard, and the situation will be reviewed from time to time in the light of the changing circumstances

6. The Commission has also, in passing, recommended that to give an impetus to production, a scheme of tax credit certificates for providing relief in excise duty on excess clearance, which was discontinued from March 1970, should be revived. Government had taken a considered decision to give up this scheme, and it is not, therefore, feasible to revive it with reference to aluminium, particularly as several other measures for stimulating the production of aluminium are being taken.

7. The attention of the producers of the primary metal is drawn to recommendation (6).

8. The Commission has reiterated some of the recommendations made in its previous Report of 1968, covering such matters as the determination in advance of actual requirements of aluminium, reduction of the costs of petroleum coke, cryolite and aluminium fluoride, re-examination of electricity tariffs, effecting technological improvements, and the like. In Government's previous Resolution dated 7th December, 1968 on the 1968 report, it was stated that Government had taken note of these recommendations wherever action lay with Government, and that steps would be taken to implement them as far as possible. The attention of State Governments, Hindustan Steel, etc., was also drawn to the recommendations concerning them. Some of the recommendations have since been implemented. Government will continue to pay attention to the various recommendations with a view to implementing them as far as possible. Government would also invite the attention of all concerned to such of the recommendations which require action from them.

ORDER

Ordered that the Resolution be published in the Gazette of India and a copy thereof communicated to all concerned.

S. VENKATESAN, Jt. Secy.

विदेश व्यापार मंत्रालय

संकल्प

टैरिफ

नई दिल्ली, 10 दिसम्बर, 1971

सं० 1(1) टैरिफ/71.—टैरिफ आयोग ने, टैरिफ आयोग अधिनियम, 1951 (1951 का 50) की धारा 11(क) और 13 के अधीन उसके द्वारा की गई जांच के आधार पर एल्यूमिनियम उद्योग को संरक्षण जारी रखने के सम्बंध में अपना प्रतिवेदन दे दिया है। इसकी सिफारिशें निम्नलिखित हैं :—

(1) भारत का एल्यूमिनियम उद्योग अब इतना विकसित हो चुका है कि उसे राजस्व विषयक संरक्षक की जरूरत नहीं रही है। अतः उद्योग को प्रदान किये गये संरक्षण

को 31 दिसम्बर, 1971 के बाद जारी रखने की आवश्यकता नहीं है और भारतीय सीमाशुल्क टैरिफ अनुसूची की मद सं० 66(क) तथा 66(1) के अन्तर्गत आने वाली वस्तुओं पर संरक्षणात्मक शुल्कों के स्थान पर समुचित दरों पर राजस्व शुल्क लगाये जायें।

(2) सरकारी क्षेत्र के उपक्रम, भारत एल्युमिनियम कम्पनी और कुछ राज्य सरकारों द्वारा व्यक्त विचारों को ध्यान में रखते हुए यदि सरकार कुछ हद तक लचीलापन बनाये रखने की इच्छुक है तो वह टैरिफ आयोग अधिनियम की धारा 11(क) के प्रयोजनार्थ एल्युमिनियम उद्योग को आगामी तीन वर्ष अथवा अधिक अवधि के लिए संरक्षित समझते रहने की संभाव्यता पर विचार कर सकती है।

(3) इस उद्योग के व्यापक विस्तार कार्यक्रम और आर्थिक विकास में इसके भाग के महत्व को देखते हुए, किफायती कीमतों पर बिजली की समुचित सप्लाई सम्बन्धी इस उद्योग की बढ़ती हुई जरूरत पर, जिस विषय पर आयोग द्वारा अपने पहले प्रतिवेदनों में बार-बार ध्यान आकृष्ट किया गया है, बल देना आवश्यक है।

(4) लघु उद्योग के निष्पादन का सही आकलन किये बिना एल्युमिनियम की मांग अथवा खपत के स्वरूप अथवा किसी अन्य स्थितियों का अनुमान पूर्ण नहीं होगा तदनुसार लघु क्षेत्र में आंकड़ों के पर्याप्त संकलन और उसके यथार्थ मूल्यांकन के लिए शीघ्र उपाय किये जाने चाहिए।

(5) निर्यात नीति दीर्घावधि आधार पर तैयार की जानी चाहिए और क्रियाविधि ऐसी होनी चाहिए कि उसमें कम समय लगे।

(6) स्वदेशी मूल धातु की क्वालिटी काफी हद तक संतोषजनक प्रतीत होती है हालांकि चादरों और चक्कों में और भी सुधार की कुछ गुंजाइश प्रतीत होती है। यह उत्पादकों के भी हित में होगा कि वे पूरे मनोयोग से भारतीय मानक संस्थान की प्रमाणन चिह्न योजना में भाग लें और इस तरह अपने उत्पादों की क्वालिटी के लिए आधिकारिक अधिप्रमाणन प्राप्त करें।

2. सरकार उपरोक्त सिफारिश (1) को स्वीकार करती है। उसने यह विनिश्चय किया है कि शुल्क की संरक्षण दरें समाप्त करने के पश्चात, वर्तमान में राजस्व शुल्क की प्रभावी दरें उसी स्तर पर बनाई रखी जानी चाहिए जो कि विद्यमान संरक्षण शुल्क की प्रभावी दरों का स्तर है।

सरकार के विनिश्चयों को कार्यान्वित करने के लिए यथासमय संसद में आवश्यक विधान बनाया जायेगा।

3. सिफारिश (2) के सम्बन्ध में सरकार का विचार है कि 31 दिसम्बर, 1976 को समाप्त होने वाली 5 वर्ष की आगामी अवधि के लिए एल्युमिनियम उद्योग को टैरिफ आयोग अधिनियम, 1951 की धारा 11(क) के अर्थ के अंतर्गत संरक्षित समझा जाना चाहिए। उसका यह भी विचार है कि स्थिति का आकलन करने के लिए टैरिफ आयोग द्वारा उद्योग की प्रगति की आवधिक समीक्षा की जानी चाहिए।

4. सरकार ने (3) तथा (4) सिफारिशों को नोट कर लिया है और उन्हें यथाशीघ्र कार्यान्वित करने के लिए कदम उठायेगी।

5. सिफारिश (5) के सम्बन्ध में, सरकार ने पहले ही विनिश्चय कर लिया है कि एल्युमिनियम के सम्बन्ध में देश की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए ई० सी० ग्रेड एल्यूमिनियम के निर्यात की फिलहाल अनुमति नहीं दी जा सकती जबकि, अनिवार्य वचन-बद्धताओं को पूरा करने के लिए, केवल बहुत ही सीमित मात्राओं में दी जा सकती है। इस सम्बन्ध में कोई स्थिर नीति नहीं हो सकती और बदलती हुई परिस्थितियों को देखते हुए समय-समय पर स्थिति का पुनरीक्षण किया जायेगा।

6. आयोग ने प्रासंगिक रूप में सिफारिश की कि उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए, बेशी निकासी पर उत्पादन शुल्क में राहत देने के लिए कर प्रत्यय प्रमाणपत्र की योजना, जो कि मार्च, 1970 से बन्द कर दी गई थी, पुनः चालू की जानी चाहिए। सरकार ने इस योजना को छोड़ देने के लिए सोच विचार कर निर्णय लिया था और इसलिए एल्युमिनयम के सम्बन्ध में जबकि विशेष रूप से एल्यूमिनियम के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए अन्य विभिन्न उपाय किये जा रहे हैं, इसे पुनः शुरू करना सम्भव नहीं है।

7. पल धातु के उत्पादकों का ध्यान सिफारिश (6) की ओर दिलाया जाता है।

8. आयोग ने 1968 के अपने पिछले प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों में से कुछ को दोहराया है, जिनमें, एल्यूमिनियम की वास्तविक आवश्यकताओं का पूर्व निर्धारण, पैट्रोलियम कोक, क्रियोलाइट तथा एल्यूमिनियम क्लोराइड की लागतों में कमी, बिजली की दरों पर पुनर्विचार, प्रोद्योगिकीय सुधार करना जैसे विषय तथा ऐसे ही अन्य विषय आते हैं। 1968 के प्रतिवेदन पर सरकार के पिछले संकल्प दिनांक 7-12-1968 में यह कहा गया था कि सरकार ने इन सिफारिशों को जहां कहीं सरकार को कार्यवाही करनी थी, नोट कर लिया था और उन्हें यथाशीघ्र कार्यान्वित करने के लिए कदम उठाये जायेंगे। राज्य सरकारों हिन्दुस्तान स्टील आदि का भी ध्यान उनसे सम्बद्ध सिफारिशों की ओर दिलाया गया था। तब से उनमें से कतिपय सिफारिशें क्रियान्वित की जा चुकी हैं। सरकार विभिन्न सिफारिशों पर, उन्हें यथा सम्भव क्रियान्वित करने के लिए, बराबर ध्यान देती रहेगी। सरकार सभी सम्बद्धों का भी ध्यान उन सिफारिशों की ओर जिन पर उनसे कार्यवाही अपेक्षित है, आकर्षित करना चाहती है।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प राजपत्र में प्रकाशित किया जाय और उसकी एक-एक प्रति सभी सम्बद्धों को भेजी जाये।

एम० वेंकटेशन, संयुक्त सचिव।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972